लैटर्स पेटेंट अपील

समक्ष - एस.बी. कपूर ए.सी.जे., और आर.एस. नरूला, जे.,

थंबू और अन्य -अपीलकर्ता

बनाम

अपर निदेशक, जोत समेकन, हिसार और अन्य -प्रतिवादी

एल.पी.ए. क्रमांक 368 ऑफ़ 1966

13 सितंबर 1967

पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (L ऑफ़ 948)- धारा 42- पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (विखंडन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949-नियम 18 धारा 42 के तहत आवेदनों के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है-क्या सीमा अधिनियम (XXXVI ऑफ़ 1963) के धारा, 29 में परिभाषित विशेष या स्थानीय कानून का गठन करता है- धारा 42 के तहत एक समय-बाधित आवेदन पर आदेश पारित किया गया - चाहे वह शून्य हो - भारत का संविधान (1950) - अनुछेद 226– रिट के तहत याचिका–अधिकरण के समक्ष सीमा के बारे में आपत्ति नहीं ली गई–क्या रिट याचिका में पहली बार लिया जा सकता है– कानून की त्रुटि विवाद के गुण-दोष को प्रभावित नहीं कर रही है–सर्टिओरारी की रिट–क्या दावा किया जा सकता है।

अभिनिर्णित - लिमिटेशन एक्ट की अनुसूची में ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ विखंडन) एक्ट, 1948 का कोई उल्लेख नहीं है, और उस एक्ट के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए कोई लिमिटेशन अवधि सामान्य लिमिटेशन कानून द्वारा निर्धारित नहीं है। पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 के नियम 18 द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि, सीमा अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित किसी भी कार्यवाही के लिए निर्धारित विशेष अवधि नहीं है, लेकिन एक ऐसे विषय से संबंधित है जो नहीं करता है सभी को उक्त अनुसूची में स्थान मिले। चकबंदी अधिनियम के तहत कार्यवाही की सीमा के प्रयोजनों के लिए, 1963 के परिसीमन अधिनियम को सामान्य कानून नहीं कहा जा सकता है, जिसका नियम 18 एक अपवाद है। इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाने वाला चकबंदी अधिनियम, उसमें दिए गए विषय पर मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों की एक संपूर्ण संहिता है। अधिनियम की धारा 42 के तहत एक आवेदन दाखिल करने की सीमा का प्रावधान स्व-निहित है और यह न तो सीमा अधिनियम द्वारा नियंत्रित और न ही पूरक है।

अभिनिर्णित , धारा 42 के तहत राज्य सरकार के पास समय-बाधित याचिका पर विचार करने में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र की कमी नहीं है। समय-बाधित कार्रवाई में पारित आदेश अमान्य नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब तक इस तरह के आदेश को कानून में उपलब्ध उचित कार्यवाही में रद्द नहीं किया जाता है, तब तक यह आदेश पक्षों को बाध्य करता है। किसी को भी समय-बाधित कार्यवाही में अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने का मौका

लेने और फिर उस आदेश से छुटकारा पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि यह उसे शोभा नहीं देता क्योंकि यह कानून के विपरीत है क्योंकि यह एक समय-वर्जित आवेदन में पारित किया गया था। उच्च न्यायालयों द्वारा बार-बार यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देना विवेकाधीन है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए जिन अन्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, उनमें याचिकाकर्ता का आचरण भी शामिल है। एक याचिकाकर्ता जो ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी कार्रवाई के लिए कानूनी बचाव नहीं करता है, जहां कार्रवाई की जाती है, उसे आम तौर पर रिट याचिका में पहली बार उक्त बचाव को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अभिनिर्णित, कोई भी सर्टिओरारी एक्स डेबिटो जस्टिटिया की प्रकृति में रिट का दावा केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कानून की एक त्रुटि, विवाद के गुणों को प्रभावित नहीं करती, विवादित आदेश में मौजूद है।

1965 के सी.डब्ल्यू. संख्या 158 में पारित माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. डी. शर्मा के दिनांक 25 मई, 1966 के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत लेटर पेटेंट अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से रूपचंद, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वकील आर. एस. अमोल।

अन्य उत्तरदाता- निमो।

आदेश

नरूला, जे. - सभी तथ्यात्मक विवरणों को छोड़कर, इस मामले में किस पाठ्यक्रम को अपनाना अनुचित प्रतीत नहीं होता है, संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्य जिसके कारण एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी इस न्यायालय में, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत वर्तमान अपील दायर की गई है, ये हैं: आक्षेपित आदेशों द्वारा, दिनांक 1 मई और 25 जुलाई, 1964 (सामूहिक रूप से रिट याचिका में संलग्नक 'ए' के रूप में चिह्नित), अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स समेकन, पंजाब, हिसार ने पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (1948 का 50) की धारा 42' के तहत मांगे और रिसाल सिंह (प्रतिवादी संख्या 2 और 3) के आवेदन की अनुमति दी (इसके बाद) अधिनियम कहा जाता है), और गांव पेटवार, तहसील हांसी, जिला हिसार के पुनर्विभाजन में कुछ बदलाव किए। जैसा कि रिट याचिका के जवाब में अतिरिक्त निदेशक, चकबंदी, पंजाब, हिसार के लिखित बयान के पैराग्राफ 2 में कहा गया है, गांव का पुनर्विभाजन 9 मार्च, 1954 को धारा की उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित किया गया था। 21 और इसकी पुष्टि 17 अप्रैल 1954 को अधिनियम की धारा 21(2) के तहत की गई। अतिरिक्त निदेशक ने यह भी कहा है कि गाँव का रिकॉर्ड अंततः 3 अगस्त, 1954 को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया था। अधिनियम की धारा 42 के तहत उपरोक्त आदेशों पर रिट याचिका में सवाल उठाए गए थे, जिसे निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपील के तहत.

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री रूप चंद ने इस अपील में हमारे सामने अपने तर्कों को तीन बिंदुओं में से केवल एक तक ही सीमित रखा है, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका के समर्थन में उनके द्वारा आग्रह किया गया प्रतीत होता है। विद्वान वकील की दलील यह है कि अतिरिक्त निदेशक के अधिकार क्षेत्र में अधिनियम की धारा 42 के तहत उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 के आवेदन को स्वीकार करने और विभिन्न आदेशों के लगभग दस साल की समाप्ति के बाद स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई थी। पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 के नियम 18 द्वारा, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया। उक्त नियम इस प्रकार है:-

> धारा 42 के तहत आवेदन की सीमा - धारा 42 के तहत एक आवेदन उस आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसके खिलाफ इसे दायर किया गया है:
>
> बशर्ते कि सीमा की अवधि की गणना करने में, धारा 21 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के तहत दायर आदेशों की प्रमाणित प्रतियां और अपील के आधार, यदि कोई हो, प्राप्त करने में बिताया गया समय साथ में होना आवश्यक है। आवेदन को बाहर रखा जाएगा:
>
> आगे बशर्ते, कि किसी आवेदन को उसके लिए निर्धारित सीमा अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि आवेदक धारा 42 के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है।

अधिनियम की धारा 42 के तहत याचिका की सुनवाई के समय अपीलकर्ता अतिरिक्त निदेशक के समक्ष उपस्थित थे। आक्षेपित आदेशों से यह नहीं पता चला कि किसी भी अपीलकर्ता ने अतिरिक्त निदेशक के समक्ष कभी भी प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं के आवेदन को समय से रोके जाने के बारे में कोई आपत्ति उठाई थी। न ही रिट याचिका में या इस अपील के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि उस स्तर पर अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी परिसीमा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

भगत सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स कंसोलिडेशन, पंजाब, जालंधर और अन्य[1] मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीमा के आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उस मामले में बेंच द्वारा यह माना गया है कि जहां धारा 42 के तहत एक याचिका परिसीमा की निर्धारित अवधि के बाद दायर की जाती है, परिसीमा का प्रश्न पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है, यदि इसे प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया हो। धारा के तहत आवेदन पर सुनवाई हो रही है? 42. अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि भगत सिंह के मामले (सुप्रा) का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया था। दरअसल की एक और बेंच यह न्यायालय (शमशेर बहादुर, जे., और मैं) सेवा सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[2] में उपरोक्त प्रश्न पर फिर से गया। उस मामले में यह माना गया था कि जब एक

[1] I.L.R. (1966) 2 Punj. 664 = 1966 P.L.R. 496
[2] I.L.R. (1967) 2 Punj. And Hry. 89

सक्षम प्राधिकारी धारा 42 के तहत किसी याचिका पर समय की बाधा को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राधिकारी उस क्षेत्राधिकार को मानता है जो उसमें निहित नहीं है। सेवा सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले के अनुसार, निदेशक का यह पता लगाने का कोई कर्तव्य नहीं है कि क्या धारा 42 के तहत याचिका पर समय की रोक है, जब तक कि मामला उनके ध्यान में नहीं लाया जाता है। अधिनियम की धारा 42 के तहत एक याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने का आदेश, सीमा की बाधा को ध्यान में रखे बिना और याचिका की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को उक्त बाधा के बारे में बताए बिना, उपरोक्त मामले में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी के कारण बुरा नहीं माना गया। भगत सिंह के मामले (सुप्रा) में पिछली डिवीजन बेंच के फैसले को विशेष रूप से अनुमोदित किया गया था और यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि किसी पक्ष द्वारा विभागीय अधिकारियों के समक्ष सीमा के बारे में आपत्ति उठाने में विफलता, जो ऐसा कर सकती थी, एक बाधा होगी। ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी याचिका दायर की गई। श्री रूप चंद ने सेवा सिंह के मामले में भी इस न्यायालय के फैसले की सत्यता पर सवाल उठाने की मांग की है। उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 42 के तहत आवेदन 1964 में दायर किया गया था, जब सीमा अधिनियम (1963 का 36) पहले ही लागू हो चुका था, यह अतिरिक्त निदेशक का वैधानिक कर्तव्य था कि याचिका को समय से बाधित मानते

हुए खारिज कर दिया जाए। उस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित सीमा अधिनियम की धारा 3 के संचालन के कारण, उक्त धाराएँ निम्नलिखित शर्तों में हैं: -

"3. (1) धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन, स्थापित प्रत्येक मुकदमा, अपील की गई, और निर्धारित अवधि के बाद किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि बचाव के रूप में परिसीमा स्थापित नहीं की गई है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(ए) एक मुकदमा स्थापित किया गया है, -

(i) एक साधारण मामले में, उचित अधिकारी जब वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है

(ii) एक कंगाल व्यक्ति की स्थिति में, जब उसका छुट्टी के लिए आवेदन किया जाता है कंगाल के रूप में मुकदमा करना; और

(iii) किसी कंपनी के खिलाफ दावे के मामले में, जिसे न्यायालय द्वारा बंद किया जा रहा है, जब दावेदार पहली बार अपना दावा आधिकारिक परिसमापक को भेजता है;

(बी) मुजरा या प्रतिदावा के माध्यम से किसी भी दावे को एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाएगा और इसे स्थापित किया गया माना जाएगा-

(i) मुजरा के मामले में, उसी तारीख को जिस दिन मुकदमा चल रहा है जिसे सेट-ऑफ़ करने का अनुरोध किया गया है;

(ii) प्रतिदावे के मामले में, जिस तारीख को प्रतिदावा न्यायालय में किया जाता है;

(सी) उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा एक आवेदन तब किया जाता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

”29 (1) * * * *

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा अवधि निर्धारित करता है, धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी भी सीमा अवधि का निर्धारण करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे, जिस हद तक, और जिस हद तक, वे इस तरह से स्पष्ट रूप से विशेष या स्थानीय कानून से बाहर नहीं रखा गया है

(3) * * * *

(4) * * * *

वकील ने पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लाहौर बनाम आधिकारिक परिसमापक, पंजाब कॉटन प्रेस कंपनी लिमिटेड, (परिसमापन में) और अन्य[3] मामले में लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का और भारत संघ और अन्य बनाम राम कंवर और अन्य[4] में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है।, और तर्क दिया है कि जब भी किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा परिसीमा की एक विशेष अवधि तय की जाती है जो परिसीमा अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अवधियों से भिन्न होती है, तो अधिनियम की धारा 3 उस पर एकमात्र संशोधन के साथ लागू होगी कि परिसीमा की अवधि जिसे न्यायालय या न्यायाधिकरण ध्यान में रखेगा, वह विशेष या स्थानीय अधिनियम में उल्लिखित अवधि होगी। कानून के उस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है. प्रथम दृष्टया हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष या स्थानीय कानूनों के मामले में सीमा अधिनियम द्वारा किया गया एकमात्र बदलाव "सीमा की अवधि" के संबंध में है, न कि मुकदमे, अपील या आवेदन के विवरण के संबंध में। धारा 29 की उप-धारा (2) का तात्पर्य यह है कि यदि सीमा अधिनियम की अनुसूची के दूसरे कॉलम में दी गई अवधि विशेष या स्थानीय कानून में उल्लिखित अवधि से भिन्न है, तो इसके बाद परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए प्रबल होगा। हम धारा 29 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अंतर के मामले में "सीमा की अवधि" और "अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि"

[3] I.L.R. (1941) 22 Lahore 191
[4] AIR 1962 S.C. 247

अभिव्यक्तियों के उपयोग से इस दृष्टिकोण को ताकत प्राप्त करते हैं। श्री रूप चंद भी कौशल्या रानी बनाम गोपाल सिंह[5] में सुप्रीम कोर्ट के वारिस लॉर्डशिप के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 417 की उप-धारा (4) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति की याचिका, परिसीमा अधिनियम, 1908 की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 157 में उल्लिखित अवधि को खत्म कर देगी। उस मामले में उनका प्रभुत्व इस प्रकार है: -

> "एक बार जब यह माना जाता है कि संहिता की धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित परिसीमा का विशेष नियम परिसीमा का एक "विशेष कानून" है, जो निजी अभियोजकों द्वारा अपील को नियंत्रित करता है, तो निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है परिसीमा अधिनियम की धारा 5, परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) (बी) के मद्देनजर, पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

* * * *

> इसलिए, यह कहा जा सकता है कि निजी अभियोजक के कहने पर बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के लिए परिसीमा अधिनियम द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार, ऐसे आवेदन को प्रभावित करने वाली सीमा के संबंध में सीमा अधिनियम और संहिता की धारा 417 (4) में निर्धारित नियम के बीच अंतर है।

[5] A.I.R. 1964 S.C. 260

धारा 29(2') अपने चरित्र में पूरक है, जहां तक यह धारा 3 को ऐसे मामलों में लागू करने का प्रावधान करती है जो इस प्रावधान के अलावा इसके दायरे में नहीं आते। और किसी विशेष कानून द्वारा निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, इसने धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ए) में संदर्भित सीमा अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे मामलों पर इस हद तक लागू किया है जिसे वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है, और उस उप-धारा के खंड (बी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीमा अधिनियम के शेष प्रावधान किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा शासित मामलों पर लागू नहीं होंगे। इसलिए, हमारी राय में, सीमा अधिनियम की धारा 29(2) के प्रावधानों द्वारा पूरक संहिता के प्रावधान, यह स्पष्ट करते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 धारा 417 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति के आवेदन पर लागू नहीं होगी।"

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के लिए परिसीमा की अवधि निर्धारित करने वाला सामान्य कानून परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आता है, विशेष अनुमति द्वारा ऐसी अपील को प्राथमिकता देने की अवधि का परिसीमा अधिनियम की पहली अनुसूची, धारा 29 में उल्लेख नहीं किया गया है। उस अधिनियम के (बी) को लागू किया गया था ताकि सीमा अधिनियम की धारा 3 को लागू किया जा सके, लेकिन धारा 5 को शामिल करने वाले

अन्य सभी प्रावधानों को विशेष छुट्टी के लिए आवेदन पर उनके संचालन से बाहर कर दिया गया। यद्यपि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सीमा सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित है, लेकिन अनुसूची में पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (1948 का 50) का कोई उल्लेख नहीं है। सीमा अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए कोई सीमा अवधि सीमा के सामान्य कानून द्वारा निर्धारित नहीं है। पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 के नियम 18 द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि, सीमा अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित किसी भी कार्यवाही के लिए निर्धारित विशेष अवधि नहीं है, लेकिन एक ऐसे विषय से संबंधित है जो नहीं करता है सभी को उक्त अनुसूची में स्थान मिले। चकबंदी अधिनियम के तहत कार्यवाही की सीमा के प्रयोजनों के लिए, 1963 के परिसीमन अधिनियम को सामान्य कानून नहीं कहा जा सकता है, जिसका नियम 18 एक अपवाद है। इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाने वाला चकबंदी अधिनियम, उसमें दिए गए विषय पर मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों की एक पूरी संहिता है। अधिनियम की धारा 42 के तहत आवेदन दाखिल करने की सीमा का प्रावधान स्व-निहित है और यह न तो सीमा अधिनियम द्वारा नियंत्रित और न ही पूरक है। मामले के इस दृष्टिकोण में, कौशल्या रानी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के निर्णय का अनुपात अपीलकर्ताओं की मदद करता प्रतीत नहीं होता है।

यह मानते हुए कि 196 एस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के संचालन द्वारा समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा एस के आवेदन के बारे में मेरे द्वारा लिया गया विचार किसी भी तरह से गलत है, मैं अभी भी सोचूंगा कि हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि मामले का यह पहलू इस प्रश्न (भगत सिंह का मामला और सेवक सिंह का मामला) से निपटने वाली पिछली दो डिवीजन बेंचों में से किसी के समक्ष नहीं रखा गया है, फिर भी उन दो मामलों में निर्धारित कानून लागू होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आदेश जिसके द्वारा समय-अवरुद्ध कार्रवाई में राहत दी जाती है, वह कानून में सबसे अधिक त्रुटिपूर्ण है, और कोई भी केवल कानून की त्रुटि के कारण सर्टिओरारी एक्स डेबिटो जस्टिसिया की प्रकृति में रिट का दावा नहीं कर सकता है, जो प्रभावित नहीं करता है विवाद के गुण, विवादित आदेशों में पाए जा रहे हैं। मामले के इस पहलू पर सेवा सिंह के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। किसी न्यायाधिकरण के पास समय-बाधित याचिका पर विचार करने में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी नहीं है। समय-बाधित कार्रवाई में पारित आदेश निरर्थक नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब तक इस तरह के आदेश को कानून में उपलब्ध उचित कार्यवाही में रद्द नहीं किया जाता है, तब तक यह आदेश पक्षों को बाध्य करता है। मेरी राय में, किसी को भी समय-बाधित कार्यवाही में अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने का मौका लेने और फिर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग

करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि वह आदेश उसके अनुकूल नहीं है तो उस आदेश से छुटकारा पा सकता है क्योंकि यह कानून के विपरीत है क्योंकि यह एक समय-वर्जित आवेदन में पारित किया गया था। उच्च न्यायालयों द्वारा बार-बार यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देना विवेकाधीन है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए जिन अन्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, उनमें याचिकाकर्ता का आचरण भी शामिल है, मुझे लगता है कि एक याचिकाकर्ता जो ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी कार्रवाई के लिए कानूनी बचाव नहीं करता है, जहां कार्रवाई की जाती है। , आमतौर पर रिट याचिका में पहली बार उक्त बचाव को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, मैं भगत सिंह के मामले और सेवा सिंह के मामले में इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा पहले से ही आधिकारिक तौर पर सुनाए गए दृष्टिकोण से अलग होने का कोई औचित्य नहीं ढूंढ पा रहा हूं, जिस दृष्टिकोण से हम अन्य बुद्धिमानी से बंधे हुए हैं। डिवीजन बेंच, वास्तव में धारा 42 के तहत आवेदन 7 सितंबर 1966 को दिया गया था (प्रतिवादी नंबर 1 के लिखित बयान के पैराग्राफ 4 के तहत), और परिसीमन अधिनियम, 1963 (जिस पर अकेले वकील ने इस तर्क के लिए भरोसा किया है), 1 जनवरी, 1964 से लागू किया गया था। इसलिए, इस तर्क का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

इसके अलावा, भगत सिंह के मामले के साथ-साथ सेवा सिंह के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को पहले ही एस. गुरदयाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[6] मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। ऐसे में निदेशक के समक्ष परिसीमन का प्रश्न उठाया गया था. उनके समक्ष चकबंदी अधिनियम की धारा 42 के तहत कालातीत याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलंब की माफी मांगी गयी थी. निदेशक द्वारा देरी को इस आधार पर माफ कर दिया गया कि याचिकाकर्ता सेना में था और अपने मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता था। भगत सिंह और सेवा सिंह तथा कुछ अन्य मामलों के फैसलों का जिक्र करने के बाद पूर्ण पीठ ने कहा कि इससे पहले कि अतिरिक्त निदेशक समय बढ़ा पाते, उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि पूरे तीन साल की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता प्राधिकरण को स्थानांतरित करने में असमर्थ था या उसके पहले ऐसा न करने का कोई अन्य अच्छा कारण था। इसी आधार पर चकबंदी नियमों के नियम 18 से संबंधित याचिका को रिट याचिका (1966 का सी.डब्ल्यू. 915) में प्रबल होने की अनुमति दी गई थी। रिट कार्यवाही में पहली बार उठाए जा रहे परिसीमा के प्रश्न की अनुमति देने के औचित्य से संबंधित सटीक प्रश्न पूर्ण पीठ के समक्ष नहीं था।

इस मामले में हमारे सामने किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गयी. इसलिए, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

---

[6] 1967 P.L.R. 689

एस.बी. कपूर, ए.सी.जे.- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)